# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 35/2026–27

परिवाद योजित तिथि –11.06.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–12.08.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 12.08.2026

श्री जशपाल सिंह ग्राम–रावलनगर मल्ला जी0जी0आइ0सी0 रोड़ गौचर.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत लोड के सन्दर्भ में है। श्री जशपाल सिंह ग्राम–रावलनगर मल्ला जी0जी0आइ0सी0 रोड गौचर, ने दिनांक 11.06.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी के विद्युत संयोजन पर बिना सूचना दिये विद्युत लोड बढ़ा दिया गया है, जिससे विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई पर MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 12.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी का विद्युत लोड 2 किलोवाट है, एवं विपक्षी विभाग द्वारा नियामानुसार विद्युत बिल दिये जा रहे है।

## आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

| | | |
|---|---|---|
| रघुवीर सिंह बिष्ट | अनिल वर्मा | अर्जुन सिंह बिष्ट |
| (विधि सदस्य) | (तकनीकि सदस्य) | (उपभोक्ता सदस्य) |
| सदस्य–विधि | सदस्य–तकनीकि | सदस्य–उपभोक्ता |
| उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL | उपभोक्ता शिकायत निवारण म कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
# उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 34/2026–27

परिवाद योजित तिथि –05.06.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–12.08.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 12.08.2026

श्रीमती कल्पेश्वरी देवी ग्राम–बौला पो0–शान्तिसदन.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत लोड के सन्दर्भ में है। श्रीमती कल्पेश्वरी देवी ग्राम–बौला पो0–शान्तिसदन, ने दिनांक 05.06.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी के परिसर में विद्युत लाइन की तार झूलने के कारण बोल्टेज की समस्या हो रही है,जिस कारण घर के उपकरण जल रहे है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.06.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि ग्राम बौला के अन्तर्गत रा0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत नंगे विद्युत तारों को इन्सुलेटेड के बिल में बदले जाने का कार्य प्रगति पर है, जिससे परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया जाएगा।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 12.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा ग्राम बौला के अन्तर्गत आर0डी0एस0एस0 योजना के द्वारा नगें विद्युत तारों को इन्सुलेटेड केबिल में बदले जाने कार्य प्रगति पर है।

## आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 21/2026–27

परिवाद योजित तिथि –27.04.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–12.08.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 12.08.2026

श्री शेर मुहम्मद ग्राम–धानेई पो0–बैनोली .....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री शेर मुहम्मद ग्राम–धानेई पो0–बैनोली, ने दिनांक 27.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी का कनेक्शन बिना सूचना दिये काट दिया गया है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया। मंच द्वारा पत्रावली के अवलोकन किया गया परिवादी के विद्युत भुगतान की धनाराशि अवशेष है तथा परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह धनराशि का भुगतान करें तदोपरान्त विपक्षी विभाग में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करें।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.06.2026 एवं 23.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं परिवादी को अगली सुनवाई पर परिसर के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 12.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथा परिवादी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिसर के स्वामित्व के दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत कर अपने हिस्से की धनराशि का भुगतान कर विभाग में नये संयोजन हेतु नियमानुसार आवेदन करें।

## आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, परिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी अपने परिसर के स्वामित्व दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत कर अपने हिस्से की अवशेष धनराशि का भुगतान कर नये संयोजन हेतु आवेदन करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुबीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

प्रकीर्ण वाद संख्याः– 08/2026–27

परिवाद योजित तिथि –21.05.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–12.08.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–12.08.2026

श्री मनोज जैन, अपर बाजार ज्योर्तिमठ,.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा –तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित ।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा –तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवादी श्री मनोज जैन, अपर बाजार ज्योर्तिमठ ने दिनांक 21.05.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि मंच द्वारा परिवादी के पूर्व परिवाद संख्या 393/2024–25 में दिये गये आदेशों का अनुपालन विपक्षी विभाग द्वारा कई माह बीत जाने के बावजूद भी नहीं किया है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पुनः विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 एवं दिनांक 05.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारापरिवादी को साक्ष्य हेतु पेश होने के लिए आदेशित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 12.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में परिवादी के परिवाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के बीजक रू0 46290.00 को संशोधित कर रू0 42216.00 कर दिया गया है।

## आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 45 / 2026–27

परिवाद योजित तिथि –01.08.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–12.08.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–12.08.2026

श्री गोकुल सिंह चौधरी गोविन्दघाट ज्योर्तिमठ.....परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा –तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री गोकुल सिंह चौधरी गोविन्दघाट ज्योर्तिमठ ने दिनांक 01.08.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी गोविन्दघाट में बतौर किरायेदार अपना होटल का व्यवसाय कर रहा है विभाग द्वारा अचानक परिवादी को लगभग दो लाख से अधिक का विद्युत बिल का नोटिस दिया गया है, जबकि प्रार्थी की विद्युत खपत बहुत कम है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 05.08.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि को परिवादी का जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 12.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि गोविन्दघाट में भवन स्वामी के मकान पर बतौर किरायेदार हूँ तथा भवन स्वामी ने विद्युत कनेक्शन परिवादी के नाम पर दिया है जबकि इसी विद्युत कनेक्शन से भवन स्वामी अपने निजी व्यवसाय के संचालन के लिए पार्किंग एवं होटल व्यवसाय के लिए विद्युत का प्रयोग करता है। जिसकी जानकारी परिवादी ने पूर्व में सम्बधित विद्युत अधिकारियों को दी थी किन्तु अभी तक उक्त संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया हैं, एवं न ही अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु भवन स्वामी पर वसूली कार्यवाही की गई है।

## आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, परिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी अपनी लिखित शिकायत सम्बधित अधिशासी अभियन्ता गोपेश्वर को उपलब्ध करायें एवं अधिशासी अभिन्ता गोपेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए गुण–दोष के आधार पर परिवादी की शिकायत को ध्यान में रखते हुए तत्काल स्वंय मौके पर जाकर जांच करने के उपरान्त ही विधि अनुसार विद्युत भुगतान सम्बन्धित उचित कार्यवाही करें। तदानुसार परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 37 / 2026–27

परिवाद योजित तिथि –12.06.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–12.08.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–12.08.2026

श्रीमती आशा रतूड़ी पत्नी सती प्रसाद, ग्राम–नांरगी तहसील मार्ग नन्दानगर घाट,.....**परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....**विपक्षी।**

**कोरम–**

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

**उद्घघोषित द्वारा :–**

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा –तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती आशा रतूड़ी पत्नी सती प्रसाद, ग्राम–नांरगी तहसील मार्ग नन्दानगर घाट, ने दिनांक 12.06.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थिनी का माह अप्रैल 2026 के बाद विद्युत बिल पूर्व बिलों की अपेक्षा 10 गुना अधिक आया है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि को परिवादी का सशोधित बिल, विस्तृत रिपोर्ट एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 एवं 05.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच के सम्मुख परिवादी का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 12.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल प्रेषित किए गए हैं।

## आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 77 / 2025–26

परिवाद योजित तिथि –18.03.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–12.08.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–12.08.2026

श्री बुद्धी लाल, ग्राम व पो0–चॉई ज्योर्तिमठ,.....परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवादी श्री बुद्धी लाल, ग्राम व पो0–चॉई ज्योर्तिमठ, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 18.03.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी का विद्युत बिल उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक आया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026, के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी की केस हिस्ट्री एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा पत्रावली के निस्तारण हेतु परिवादी को साक्ष्य हेतु अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना आदेशित किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026, 18.06.2026, 24.07.2026 एवं दिनांक 05.08.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली के निस्तारण हेतु परिवादी को साक्ष्य हेतु अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना आदेशित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 1208.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा परिवादी के विवादित बिल को पिछले तीन बिलिंग साइकिल की मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधित करने योग्य है।

## आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार करते हुए, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि विभाग परिवादी के विवादित बिल को पिछले तीन बिलिंग साइकिल की मीटर रीडिग के अनुसार संशोधित करें, तथा परिवादी द्वारा जमा धनराशि को अगले बिलों में समायोजित करें। तद्नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनील वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
## उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

परिवाद संख्याः– 60 / 2026–27

वाद योजित तिथि –06.01.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–24.07.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि–24.07.2026

श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड मोहनखाल गोपेश्वर,.....परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

## निर्णय

1. परिवादी श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड मोहनखाल गोपेश्वर, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 06.01.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा नवम्बर माह असामान्य रूप से अधिकतम मांग 24.85 किलोवॉट दिखाई गई है और रूपये 3049 का अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026, दिनांक 18.04.2026 एवं दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर जवाबदावा/M.R.I रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026, 18.06.2026 दिनांक 07.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली के निस्तारण हेतु विभाग को जवाबदावा हेतु अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना आदेशित किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई 15.07.2026 के दौरान पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी विभाग द्वारा मंच द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवादी का जवाबदावा मंच में प्रेषित किया गया।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए। मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर अतिरिक्त मांग शुल्क रू0 3049.00 को सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से समायोजित कर दिया गया है।

## आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अनिल वर्मा
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL